



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2211]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

No. 2211]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

**का.आ. 2943(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
529	321जी	उत्तर प्रदेश राज्य में जालेसर के निकट रारा-21 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और ईटा के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/18/2015-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पणी :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें तत्पश्चात संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ), दिनांकित 03.04.2018 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2018

**S.O. 2943(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

<b>Sl. No.</b>	<b>New National Highway No.</b>	<b>Description of National Highways</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
529	321G	The highway starting from its junction with NH 21 near Jalesar, and terminating at its junction with NH 34 near Etah in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-14012/18/2015 -P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote :** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O.1466(E), dated 03.04.2018.